

# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर (छ.ग.)

पुराना जम्पोजिट भवन, कलेक्टोरेट के सामने द्वितीय तल बिलासपुर (छ.ग.)-495001, ई मेल-newdeobilaspur07@gmail.com  
क्र. 14632 /स्था.03/पदो./प्र.पा.(प्रा.शा.)/ई.संवर्ग/2024/2025 बिलासपुर, दिनांक 25.11.2025  
// आदेश //

---00---

लोक शिक्षण संचालनालय ब्लॉक - सी इन्द्रावती भवन, अटल नगर रायपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी आदेश क्रमांक /स्था.3ई संवर्ग/1/111033/2025 नवा रायपुर, दिनांक 04.09.2025 एवं कार्यालयीन पदोन्नति आदेश क्रं./12402/स्था.03/प्र.पा.(प्रा.शा.)/पदो./न्या./2025 बिलासपुर, दिनांक 20.12.2024 को पदोन्नति सूचना एवं दिनांक 27.12.2024 के द्वारा छ0ग0शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रं.एफ 2-96/2022/20-दो नवा रायपुर दिनांक 29.03.2023 के परिपालन में बिन्दुवार दिये गए निर्देशों का पालन करते हुए जिसमें शिक्षक विहीन शाला, एकल शिक्षिकीय शाला, आवश्यकता वाले शालाओ व शेष अन्य प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के रिक्त पदो पर पदोन्नति हेतु सभी पात्र शिक्षको का ओपन काउंसिलिंग दिनांक 20.12.2024 में रिक्त पदो पर समान अवसर प्रदान करते हुए पदोन्नति आदेश जारी किया गया था।

याचिकाकर्ताओ ने पदोन्नति पश्चात पदाकिंत संस्था के दूर होने एवं स्वास्थ्यगत समस्या होने के कारण पदाकिंत संस्था से नवीन स्थान पर पदोन्नति आदेश में संशोधन के लिए दिनांक 21.11.2025 को इस कार्यालय में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था।

उपरोक्त आवेदन पर कार्यवाही हेतु आपके द्वारा मान.उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका प्रस्तुत किया गया, जिसमे माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दायर याचिका क्रमांक डब्लू पी.एस.13055/2025 प्रस्तुत किया गया हैं पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.04.2025 को पारित आदेश के पैरा 7 एवं 8 में निम्न आदेश है :-

7. Having considered the fact and circumstance of the case, particularly taking note of circular dated 07-02-2022 issued by the directorate of public instruction/respondent no.2(for short DPI), and also in the interest of justice, the petitioners are directed to submit their respective representation by raising their grievances before respondent no.2/DPI within a period of 15 days from the date of receipt of copy of this order and thereafter the said authority shall consider and decide the same within a period of 15 day's, in accordance with law/as per the guidelines issued by the state govt. and on its own merits. Till the period of 30 days, the effect and operation of order dated 27-12-2024 in respect of the present petitioners is hereby stayed and they are allowed to work in their respective schools where they are working before promotion.

8. Accordingly, all the Writ petitions stand disposed of with aforesaid observation and directions.



याचिकाकर्ताओं के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का परीक्षण किया गया है जिसमें आवेदक द्वारा न्यायालयीन प्रकरण के अनुक्रम में प्रस्तुत अभ्यावेदन में प्रकरण में प्रस्तुत तर्क के आधार पर प्राप्त अभ्यावेदन को निराकृत किया जाता है।

साथ ही लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन अटल नगर नवा रायपुर के पत्र में शासन के द्वारा दिनांक 29.03.2023 के दिशा-निर्देशानुसार पदोन्नति पश्चात पदस्थापना की कार्यवाही जिसमें सहायक शिक्षक एल.बी. प्राथमिक शाला प्रधान पाठक के पद पर पदांकन का करने का निर्देश दिया गया है, निर्देश के परिपालन में एवं लो0शि0संचा0रायपुर के द्वारा जारी आदेश के परिपालन में, एवं छत्तसीगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर जिला रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 2-96/2022/20-दो नवा रायपुर, दिनांक 29.03.2023 द्वारा प्रसारित निर्देशानुसार व एवं इस कार्यालय के द्वारा जारी आदेश क्रं./12402/स्था.03/पदो./प्र.पा.(प्रा.शा./ई.संवर्ग/2024 बिलासपुर दिनांक 27.12.2024 में आंशिक संसोधन करते हुए एवं जिला स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति के अनुशंसा उपरांत के अनुसार एवं मान0उच्च न्यायालय में लगे याचिका का निराकरण नियमानुसार किए जाने हेतु पदोन्नति उपरांत आंशिक संसोधन करते हुए नवीन पदस्थापना हेतु सहायक शिक्षक/सहा.शिक्षक विज्ञान(प्रयोगशाला) नियमित /एल.बी.(प्रशिक्षित) का पदोन्नति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के रिक्त पद पर सातवे वेतनमान मैट्रिक्स 25300-80500 लेवल -06 (वेतन बैंड रु 5200-20200 ग्रेड वेतन -2400) से वेतन मैट्रिक्स 35400-112400-लेवल -08 (वेतन बैंड रु 9300-34800 ग्रेड वेतन -4200) में एतद् शर्तों के अधीन दिये गये कॉलम नं0 7 के सम्मुख संस्था में पदोन्नत किया जाता है:-


स.क्रं.	जिला वरि.क्रं.	सहायक शिक्षक का नाम	मूल पदस्थापना शाला	वि.ख.	संवर्ग (निय./एल.बी.)	नवीन पदस्थापना शाला का नाम	वि.ख.
144	137	श्री दिनेश कुमार तम्बोली	शास.प्राथ.शाला जाली	कोटा	एल.बी.	शास.प्राथ.शाला साँधीपारा	कोटा

उपरोक्त पदोन्नति नियम एवं शर्तें पूर्ववत् जारी आदेशानुसार यथावत रहेगी।

याचिकाकर्ताओं को पदोन्नति में वरिष्ठता का लाभ शासन द्वारा जारी दिशा - निर्देशों के अनुसार प्रदाय किया जावेगा। याचिकाकर्ताओं के द्वारा नियत समय पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु 07 कार्य दिवस का समय आदेश जारी होने की तिथि से दिया जाता है अर्थात् याचिकाकर्ता के दिनांक


12.2025 तक का समय दिया जा रहा है इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं किये जाने की स्थिति में यह मानते हुए की याचिकाकर्ता अब पदोन्नति प्राप्त करने के इच्छुक नहीं है और याचिकाकर्ता के प्रकरण निराकृत माना जाकर नस्तीबद्ध किया जावेगा।

सूचनार्थ।

  
जिला शिक्षा अधिकारी  
बिलासपुर (छ.ग.)

पृ.क्रं./14633 / स्था.03 / पदो./प्र.पा.(प्रा.शा.)/ई.संवर्ग/2025 बिलासपुर, दिनांक 25.11.2025  
प्रतिलिपि :-

01. महाधिवक्ता, मान. उच्च न्यायालय परिसर बिलासपुर छ.ग.की ओर सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
02. अवर सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर नवा रायपुर छ.ग.की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
03. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन अटल नगर नवा रायपुर छ.ग.की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
04. कलेक्टर, बिलासपुर छ.ग.की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
05. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर छ.ग.की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
06. संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन संभागीय कार्यालय बिलासपुर छ.ग.की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
07. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कोटा जिला बिलासपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ संबंधित को आदेश का तामिली कराते हुए कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावें।
08. प्रधान पाठक, शास.प्रा.शाला ..... वि.ख.  
-बिल्हा/कोटा/मस्तुरी/तखतपुर जिला बिलासपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
09. संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री .....  
सहा.शिक्षक एल.बी.कार्यरत संस्था-शास.प्रा.शाला .....  
वि.ख.-बिल्हा/कोटा/मस्तुरी/तखतपुर जिला बिलासपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

  
जिला शिक्षा अधिकारी  
बिलासपुर (छ.ग.)